भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

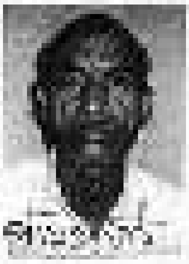

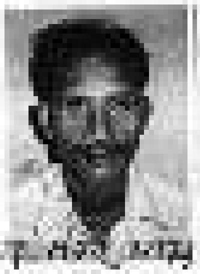

विलेख–पत्र

<u>लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

1.	भूमि का प्रकार	: भूमि
2.	परगना	: लखनऊ
3.	ग्राम	: [illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण [illegible]	: भूमि खसरा [illegible], [illegible]
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.[illegible] हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

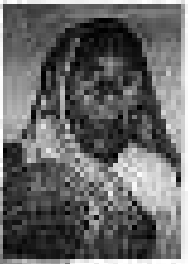

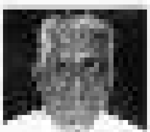

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कोई पेड़ नहीं
9.	बोरिंग/कूप/तालाब	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 24,20,450/
11.	मालियत	: रू0 7,87,200/
12.	स्टाम्प	: रू0 1,79,200/

चौहद्दी

गाटा सं0–[illegible]

पूरब	: कृषि भूमि [illegible] [illegible]–1058
पश्चिम	: कृषि भूमि [illegible] [illegible]–1060
उत्तर	: कृषि भूमि [illegible] [illegible]–1062/1067
दक्षिण	: कृषि भूमि [illegible] [illegible]–1066/1061

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 3 -

खसरा नं0–1068

पूरब : कृषि भूमि खसरा संख्या– [illegible]
पश्चिम : कृषि भूमि खसरा संख्या–1066
उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या–1067
दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या–1067

खसरा नं0–1069

पूरब : कृषि भूमि खसरा संख्या–1057
पश्चिम : कृषि भूमि खसरा संख्या–1069
उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या–1056
दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या–1066

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

107110

[illegible]

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
[illegible]	[illegible] ... लिमिटेड ... [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-5-

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) [illegible], (2) राम [illegible], (3) राम [illegible] (4) [illegible] व (5) [illegible] [illegible] [illegible] व (6) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] विक्रेतागण [illegible]-[illegible] परगना, तहसील व जिला- [illegible], जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, तथा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] अधिकृत [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible] लिमिटेड,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 246452

13- [illegible] [illegible] पत्नी [illegible] जिसकी आगे [illegible] [illegible] गया है, को भाग निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण [illegible] [illegible] [illegible] खाता संख्या- 00054, फसली वर्ष 1415 से 1420 की खसरा संख्या-1056 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1050 रकबा 0.0850 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1064 रकबा 0.1780 हेक्टेयर, कुल तीन किता व कुल रकबा 0.4930 हेक्टेयर में से अपना हिस्सा यानि 1/2 भाग यानि रकबा 0.2460

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-7-

बेहटार, जिला–ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ, के दाखिल मालिक व काबिज है, जो विक्रेतागण की पैतृक सम्पत्ति है तथा विक्रेतागण को वरासतन प्राप्त हुई है और राजस्व अभिलेखों में विक्रेतागण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त आराजी आज तक विक्रेतागण के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो सभी किस्म, डिक्री, नीलाम, कुर्की, व रहननामा आदि से मुक्त नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई शामिल हक अधिकार नहीं है और न ही कोई शामिल मालिकान

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH

844652

6. अब बजरिये इस बैनामा के उक्त आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना कोई किसी कमी व दाब के कुछ शेष न रखकर बिला किसी दबाव के, बहक [illegible] 24,48,400/- [illegible] [illegible] आराजी [illegible] में क्रेता उपरोक्त को बय कराई किया, और कुछ [illegible] [illegible] क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करली [illegible] व [illegible] आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का कब्जा

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कब्ज़ा करा दिया, अब विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण को कोई हक व वास्ता निस्बत आराजी मज़कूर व विक्रय सम्पत्ति के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होगें, और अगर आराजी मज़कूर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जाये या कब्जा न मिले या नहीं विक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व सूदखाना के साथ विक्रेतागण

व वासिलात विक्रेतागण में व विक्रेतागण की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से तहसील न्यायालय प्राप्त कर लेंगे, इसमें क्रेतागण व वासिलात विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग राजकीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम अमानाबाद, परगना लखनऊ के ओपनसरीय क्षेत्र के अति पिछड़ा ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू मालियत 52,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.2480 हेक्टेयर भूमि की बाजारू मालियत रुपया 1,07,200/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर स्टाम्प शुल्क रुपया 1,10,200/- के अदा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आवासीय भूखण्ड मार्ग सुल्तानपुर रोड से 300 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेतागण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। उक्त आवासीय किसी योजना या किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

यह कि अत्र प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" से, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

<u>विवरण भुगतान</u>

1. विक्रेतागण को रू0 24,30,480/- (रुपया चौबीस लाख तीस हजार चार सौ अस्सी मात्र) द्वारा चैक संख्या: 382135, 382136, 382137, 382138, 382139, 382140, सभी दिनांकित 28.06.2018 पंजाब नेशनल बैंक शाखा [illegible], लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 24,30,480/- (रुपया चौबीस लाख तीस हजार चार सौ अस्सी मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त पाया।

विक्रय पत्र उपरोक्त विक्रेतागण ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, होश

उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

हम, उभय पक्षों ने इस विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके बुद्धि निष्पादित किया।

<u>[illegible] पर [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] नहीं है।</u>

दिनांक 20.06.2010

लखनऊ

<u>गवाहान:-</u>

1\. [illegible]

2\. [illegible]

मध्यस्थकर्ता:

(राम [illegible])

सिविल जज, लखनऊ

मध्यस्थकर्ता:

(अशोक श्रीवास्तव)

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता– बाबूलाल पुत्र स्व0 कन्हई लाल निवासी–ग्राम–[illegible] परगना, तहसील व जिला– लखनऊ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

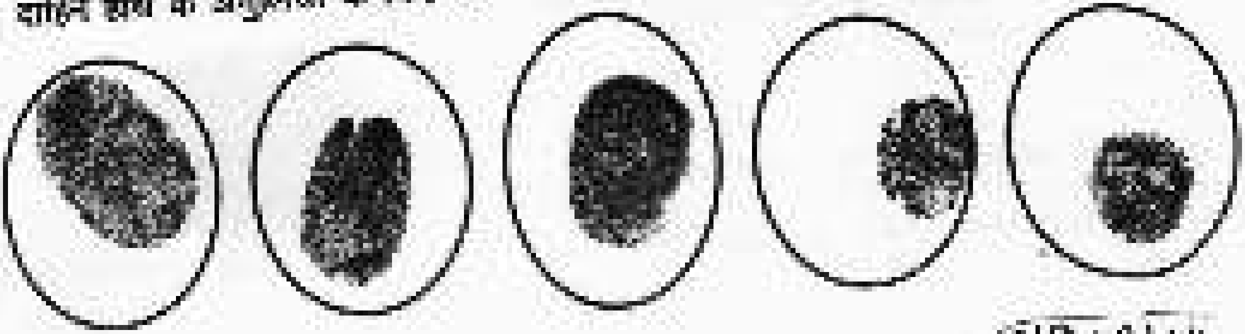

विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता– [illegible] पुत्र स्व0 कन्हई लाल निवासी–ग्राम–[illegible] परगना, तहसील व जिला– लखनऊ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

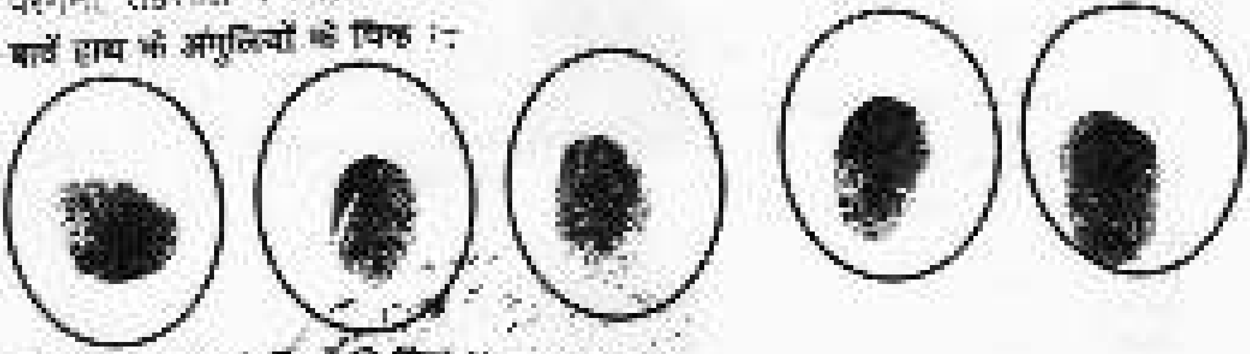

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रय पत्र

[illegible] 29?,280.00 [illegible] 20,000.00 [illegible] 10,320.00 1,800

[illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

[illegible] दिनांक 25/5/2010 समय 11:[illegible]

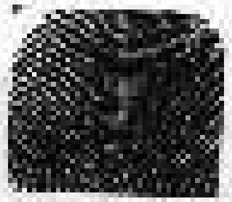

[illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

25/5/2010

[illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

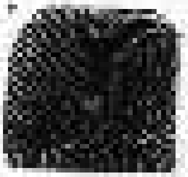

[illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

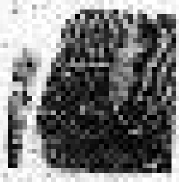

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

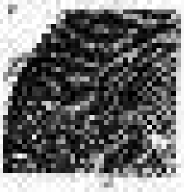

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

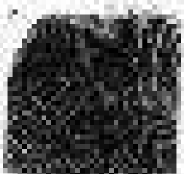

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

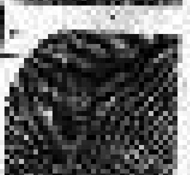

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता- राम सागर पुत्र स्व0 कन्हाई लाल निवासी-ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

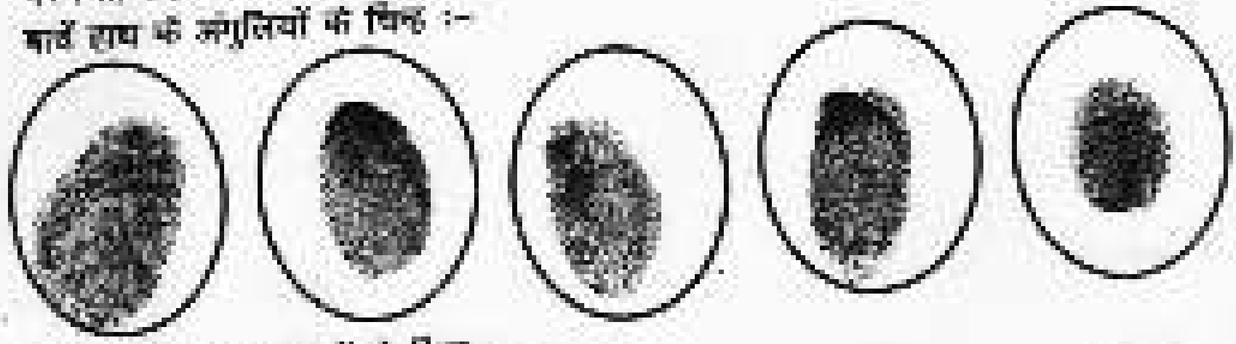

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता-प्रेम सागर पुत्र स्व0 कन्हाई लाल निवासी-ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

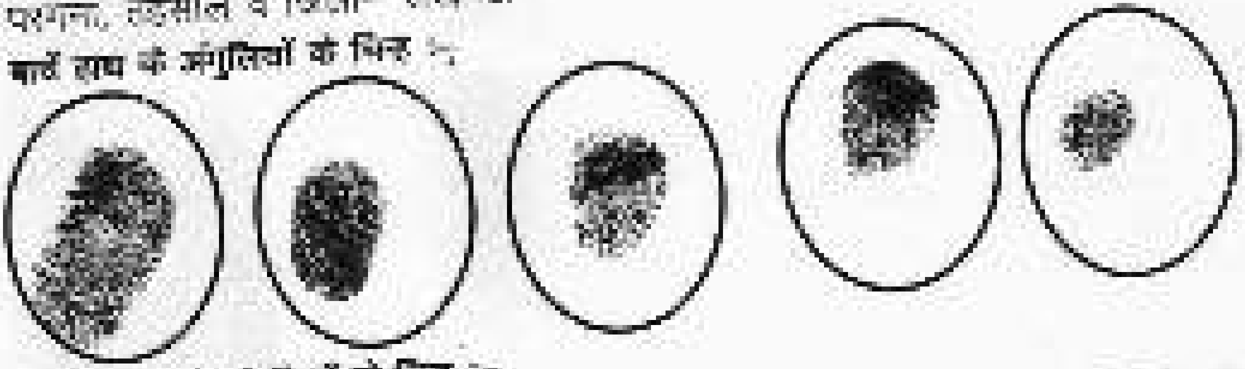

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

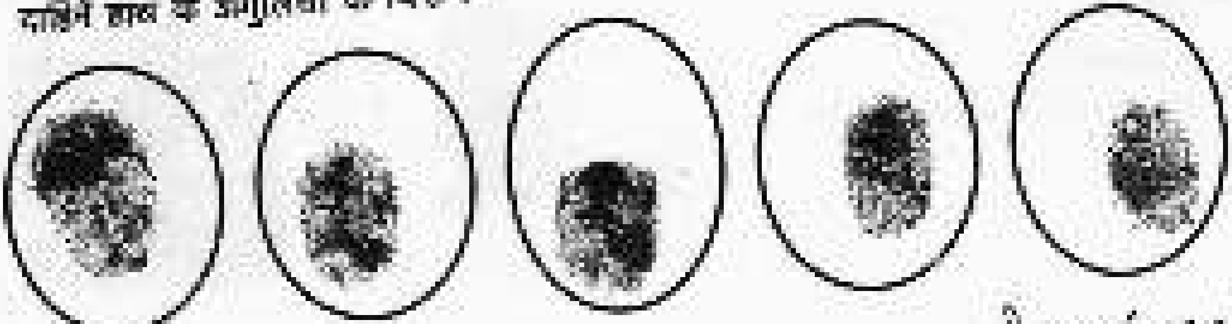

विक्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No.: [illegible]

Year: [illegible]

Book No.:

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

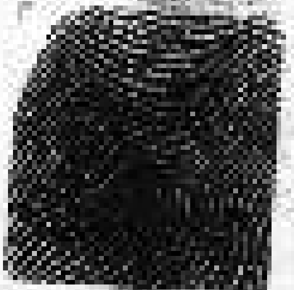

0104 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

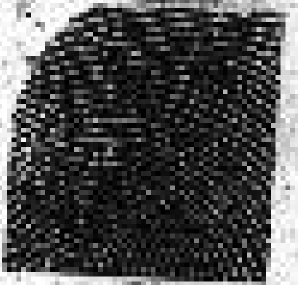

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता:- सचिन कुमार पुत्र स्व० कन्हई लाल, निवासी–ग्राम–अक्षमानक, परगना, तहसील व जिला– लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

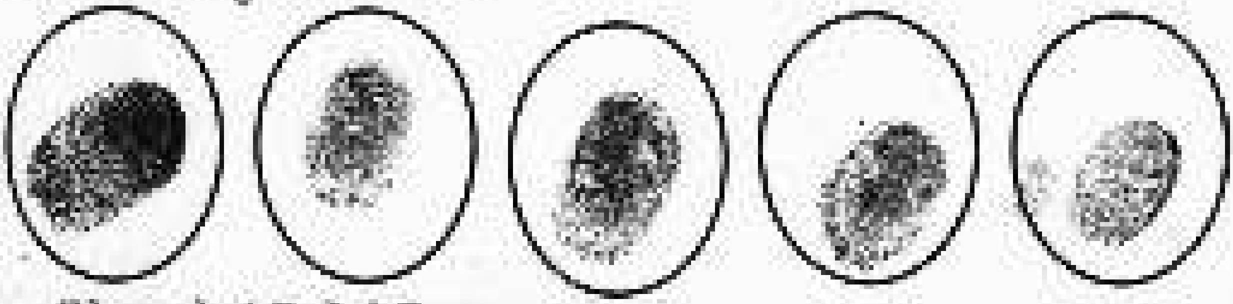

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

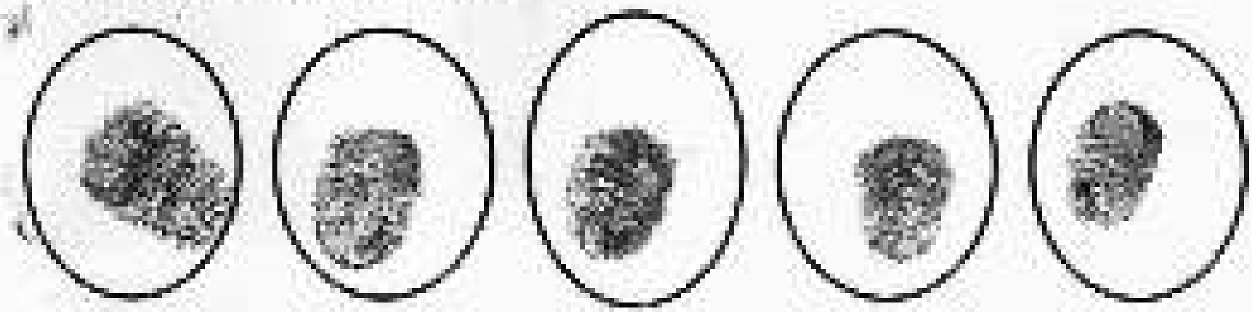

[illegible]
विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता- श्रीमती सुषमा पत्नी स्व० कन्हई लाल, स्वयं निवासी–ग्राम–अक्षमानक, परगना, तहसील व जिला– लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

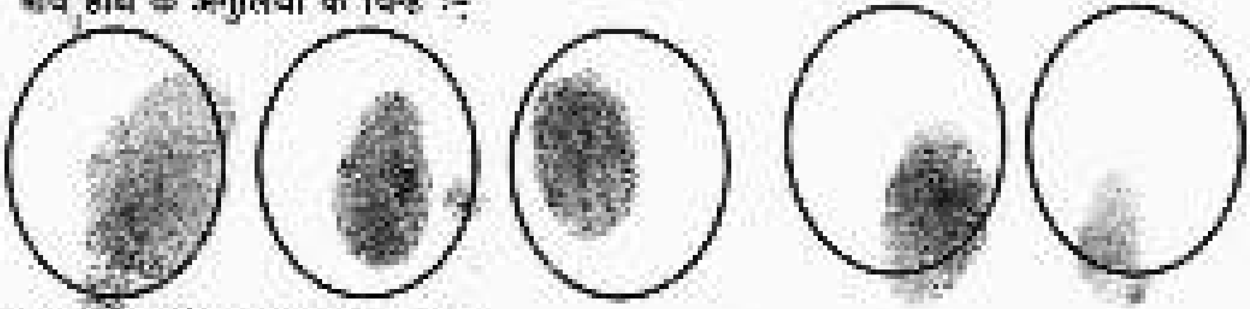

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

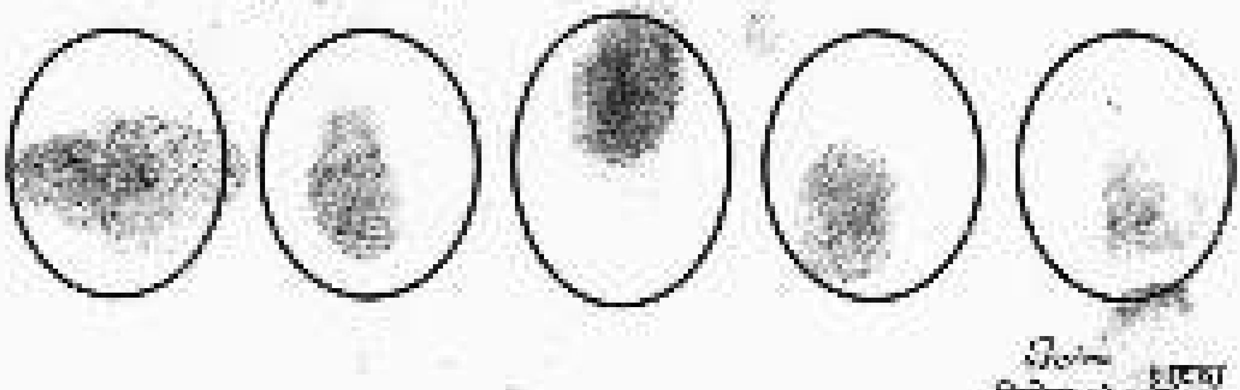

[illegible]
विक्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Presentation No.: 9253 Year: 2010 Book No.: 1

0106 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0106 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

क्रेता का नाम व पता:- अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री अनिरुद्ध प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (समन्वय), वर्तमान पता–तृतीय तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

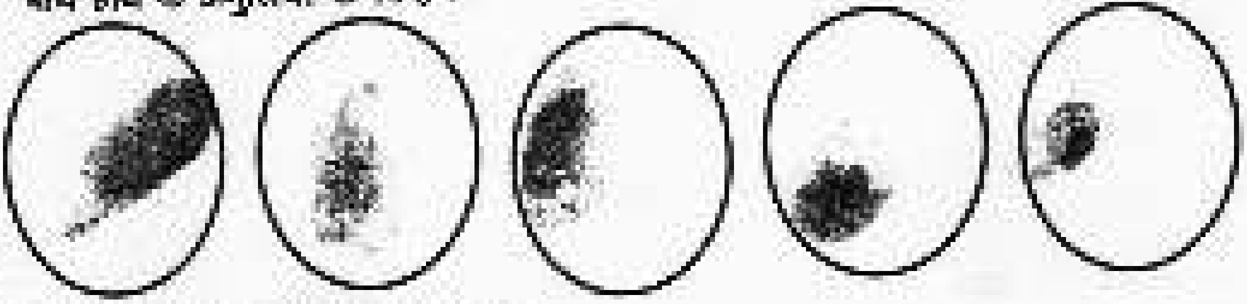

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

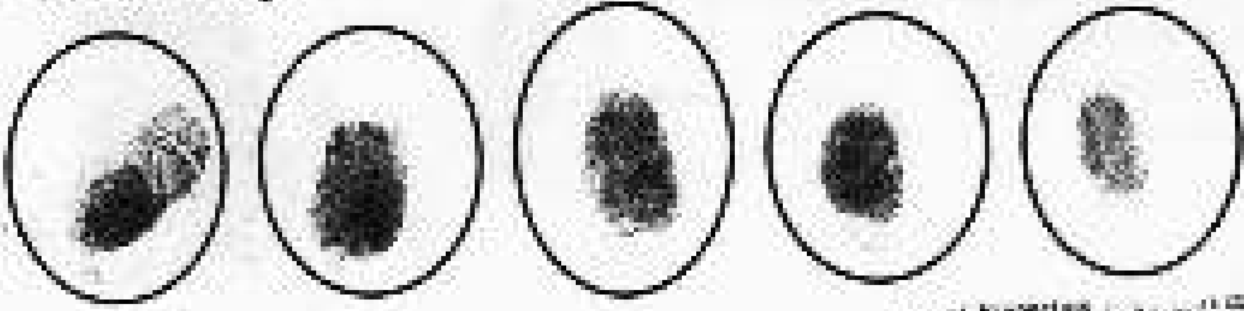

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम व पता-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No.: 4252 Year: 2,018 Book No.:

[illegible] [illegible]

नक्सा नजरी

ग्राम– [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

विक्रेता — [illegible]

क्रेता — [illegible]

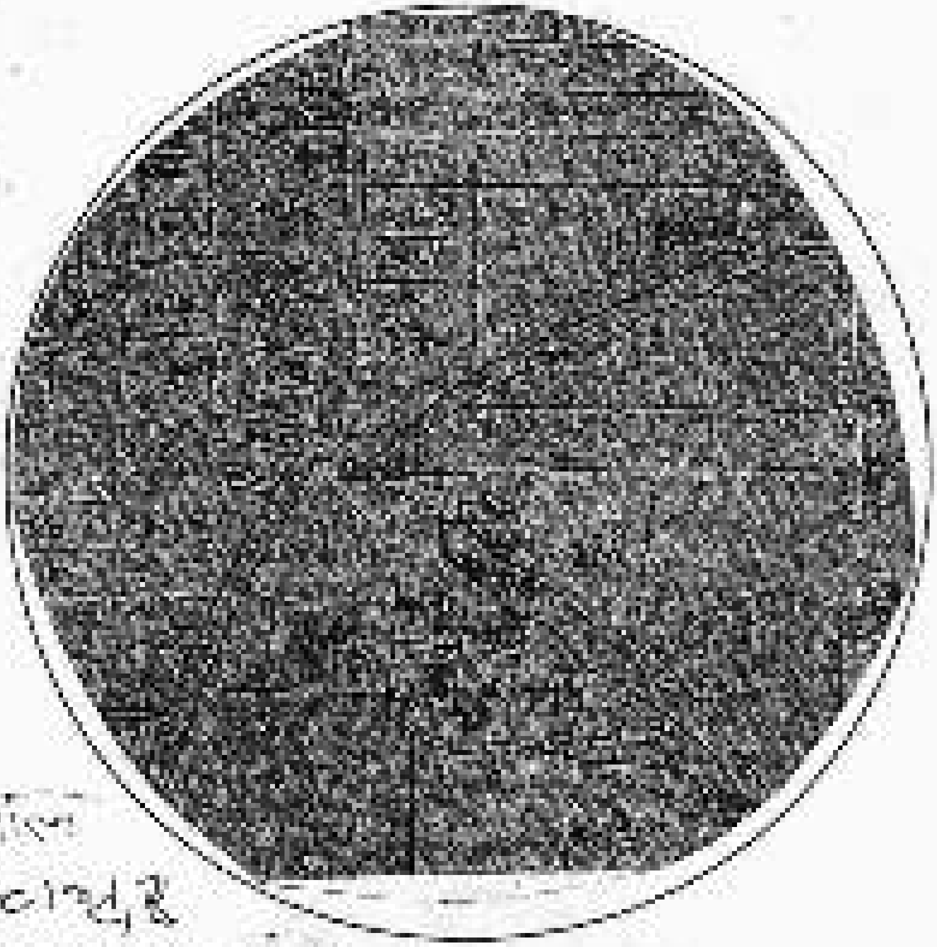

[illegible]

विक्रेता

क्रेता

आज दिनांक 28/06/2010 को

बही सं 1 जिल्द सं 9924

पृष्ठ सं 49 से 82 पर क्रमांक 9253

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] दुबे

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

28/6/2010